

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

पत्रांक:- 758

दिनांक:- 26.7.16

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत टोरी-शिवपुर न्यू बीजी सिंगल रेलवे लाईन निर्माण हेतु अवशेष 19.85 हे० (15.89 हे० लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत एवं 3.96 हे० चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग रीजन, हजारीबाग का पत्रांक 1008, दिनांक 21.04.2016 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू मेदिनीनगर का पत्रांक 2321, दिनांक 11.07.2016 की छायाप्रति संलग्न करते हुए सूचित करना है कि विषयगत परियोजना के लिए कुल 19.85 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु दो वन प्रमंडल चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा एवं लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार से प्रस्ताव पाँच-पाँच प्रतियों में प्राप्त हुआ है। जिसे समेकित कर अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रस्ताव की तीन-तीन प्रतियाँ भेजा जा रहा है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग रीजन, हजारीबाग एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू मेदिनीनगर के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तु स्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित किया जाता है :-

1. प्रस्ताव वनभूमि की वैधानिक स्थिति प्रमंडलवार निम्नवत् है :-

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि की रकबा (हे० में)	जंगल-झाड़ी वनभूमि की रकबा (हे० में)	कुल रकबा	वनस्पति घनत्व
1	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	0.21	3.75	3.96	0.1
2	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	15.86	0.03	15.89	0.2
कुल :-	02	16.07	3.78	19.85	

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित Form "A" Part-I में मूल आवेदन के साथ अभियुक्ति दर्ज की गई है। तथा रेलवे लाईन स्थापित किये जाने का उद्देश्य वर्णित है।
3. प्रस्ताव के साथ Part II, III एवं III "A" में कमशः वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार, वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/लातेहार एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/पलामू मेदिनीनगर का अभियुक्ति के साथ मंतव्य दर्ज है। साथ ही पदाधिकारियों द्वारा की गई स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं।

4. प्रस्तावित वन भूमि की ग्रामवार/प्लॉटवार/रकबावार/प्रमंडलवार विवरणी निम्नवत् है :-

चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा

Name of work :- Construction of new BG single rail line with provision of formation and bridge substructure for two additional from tori to Shivpur							
SI No	Name of village	Thana No	Shape No	Plot No	Area in Ha	Area in Acre	Remarks
PROTECTED FOREST LAND							
1	Tektha	22	PF33	392	0.21		
Total :-					0.21		
GMJJ LAND							
2	Tektha	22	GMJJ2	392	3.16		
3	Tektha	22	GMJJ2	580	0.59		
Total :-					3.75		

लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार

Name of work :- Construction of new BG single rail line with provision of formation and bridge substructure for two additional from tori to Shivpur							
SI No	Name of village	Thana No	Shape No	Plot No	Area in Ha	Area in Acre	Remarks
1	Chakla	238	F1	3137	0.05	0.12	
			F2	3137	0.23	0.57	
			F3	3137	0.11	0.27	
Total :-					0.39	0.96	
2	Bana	239	F4	165	0.03	0.07	
			F5	165	0.03	0.07	
			F6	165	0.24	0.59	
			F6	164	0.69	1.70	
			F7	165	0.13	0.32	
			F7	164	0.62	1.53	
			F8	44	0.19	0.47	
			F9	1	0.04	0.10	
Total :-					1.97	4.87	
3	Nagar		F10	1967	0.27	0.67	
				1968	0.41	1.01	
				293	0.26	0.64	
				294	0.18	0.44	
				292	0.08	0.20	
				291	0.24	0.59	
				295	0.09	0.22	
				290	0.52	1.28	
				288	0.02	0.05	
				289	0.09	0.22	
				287	0.04	0.10	
				302	0.04	0.10	
Total :-					2.24	5.54	
	Nagar		F11	285	0.09	0.22	
				274	0.11	0.27	

				273	0.06	0.15	
				288	0.04	0.10	
				287	0.04	0.10	
				290	0.14	0.35	
				292	0.10	0.25	
				293	0.12	0.30	
				296	0.11	0.27	
				294	0.12	0.30	
				295	0.26	0.64	
				303	1.01	2.50	
				298	0.07	0.17	
				302	0.15	0.37	
				297	0.18	0.44	
Total :-					2.60	6.43	
	Nagar		F12	261	0.15	0.37	
				260	0.02	0.05	
				259	0.14	0.35	
				258	0.01	0.02	
				255	0.01	0.02	
				257	0.01	0.02	
				256	0.01	0.02	
				168	0.63	1.56	
	Nagar		F13	98	0.18	0.44	
Total :-					1.16	2.87	
4	Chitarpur	210	F14	305	0.31	0.77	
			F15	279	0.06	0.15	
			F16	279	0.03	0.07	
			F17	233	0.04	0.10	
Total :-					0.44	1.09	
5	Jogiadih	206	F18	389	0.10	0.25	
			F19	389	0.17	0.42	
				400		0.00	
				404		0.00	
Total :-					0.27	0.67	
6	Basia	215	F20	505	0.68	1.68	
			F20	462	0.68	1.68	
			F21	462	0.57	1.41	
			F22	505	0.63	1.56	
Total :-					2.56	6.33	
7	Bukru	64	F23	533	0.30	0.74	
			F24	533	0.17	0.42	
Total :-					0.47	1.16	
8	Chetar	59	F25	2	0.21	0.52	
			F28	563	1.31	3.24	
				564		0.00	
			F27	2	0.24	0.59	
Total :-					1.76	4.35	
9	Manatu	50	F31	816	1.36	3.36	
10	Banalat	49	F32	49	0.18	0.44	

11	Seregarha	60	F26	343	0.16	0.4	
12	Charra	54	F29	1372	0.17	0.42	
			F30	1372	0.13	0.32	
Grant Total :-					15.86	39.19	
DETAIL OF GMJJ LAND							
13	Murgaon	209	GMJJ-1	406	0.03	0.07	

Abstract:-

SI No	Dostrict	Forest Land		GMJJ Land		
		Area in Ha	Area in acre	Area in Ha	Area in acre	
1	Latehar	15.86	39.19	0.03	0.07	
2	Chatra	0.21	0.54	3.75	9.27	
	Total	16. 07	39.73	3.78	9.34	
GRAND TOTAL = Forest Land + GMMJJ =				19.85 Ha		
Forest Land + GMJJ =				49.07 Acre		

- प्रस्ताव के साथ संबंधित वन प्रमंडल में प्रस्तावित स्थल 1:50,000 के स्केल के टोपोशीट नं० F 45 A13 एवं F 45 A 14 पर लाल रंग से रेखांकन दर्शाते हुए संलग्न है।
- प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का मौजा का ग्रामवार नक्शा प्रस्तावित alignment को हरे रंग दर्शाते हुए संलग्न है।
- इस परियोजना में प्रयुक्त होनेवाली जंगल-झाड़ी वाली वनभूमि (deemed Forest) के उपयोग के संबंध में उपायुक्त, चतरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। परन्तु आयुक्त के सचिव पलामू द्वारा उपायुक्त, लातेहार को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत रहने हेतु प्रतिवेदित किया गया है। इस हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर को निदेशित किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
- वन प्रमंडल से संबंधित प्रस्ताव के साथ लागत-लाभ विश्लेषण संलग्न है।
- इस परियोजना में किसी व्यक्ति को विस्थापन होने की सूची संलग्न नहीं है।
- प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी, बायोस्फेयर टाईगर रिजर्व, राष्ट्रीय स्मारक, हाथी कोरिडोर का हिस्सा नहीं है। तथा Eco-Sensitive Zone के अन्तर्गत नहीं आता है।
- प्रस्ताव में Flora & Fauna की सूची संलग्न है।
- प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु ग्राम सभा/आम सभा की रिजोलेशन की आवश्यकता नहीं है।
- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित रेलवे लाईन में प्रयुक्त चतरा दक्षिणी एवं लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत 19.85 हे० वनभूमि के दो गुणे 39.70 हे० के एवज में चयनित अवकृष्ट 40.00 वनभूमि प्रमंडलवार/रकबावार/प्लॉटवार विवरणी निम्नवत् है :-

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	अपयोजित होने वाली भूमि का रकबा (हे० में)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुणे आवकृष्ट वनभूमि की रकबा (हे० में)	मौजा	प्लॉट नं०	थाना/ थाना नं०	रकबा (हे० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लातेहार	15.89	31.78	बरियातु	2202, 2219, 2227	बालुमाथ/ 79	32
2	चतरा	3.96	7.92	केदली	पैच नं०-1 प्लॉट-7P	चतरा/ 208	8
कुल	02	19.85	39.70	02			40

संबंधित वन प्रमंडलों का क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित 40 हे० अवकृष्ट वनभूमि का नक्शा DGPS रिडिंग एवं दस वर्षीय प्राक्कलन योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

14. भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार सी०एम०पी०डी०आई० द्वारा समर्पित प्रस्तावित वनभूमि का Geo-reference Boundary map (in shape file) में एवं हार्ड कॉपी में प्रस्ताव में संलग्न है।
15. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०भी० एवं सी०ए०की राशि जमा करने हेतु दी गई वचनबद्धता प्रस्ताव में संलग्न है।
16. प्रस्तावित दोनों वन प्रमंडलों से वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित उपायुक्त का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। इस हेतु निदेशित किया जा रहा है।
17. लातेहार वन प्रमंडल से संबंधित प्रस्ताव पर वन संरक्षक, मेदिनीनगर एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर द्वारा क्रमशः क्षेत्र निरीक्षण प्रतिवेदन उप मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक के रूप में वन्यप्राणी जीव पर पड़ने वाले प्रभाव का मंतव्य अंकित है एवं चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल से संबंधित प्रस्ताव पर अंकित नहीं है। प्रस्ताव की एक-एक प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची को उनके मंतव्य हेतु भेजा जा रहा है।
18. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लातेहार वन प्रमंडल द्वारा सूचित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 0.011 हे० वनभूमि पर वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। इस संबंध में भारतीय वन अधिनियम के तहत वाद दायर किये गये हैं।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/पलामू मेदिनीनगर के मंतव्य से अधोहस्ताक्षरी सहमत है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न शर्तों पर 19.85 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव को अनुशंसा की जाती है :-

1. वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में अपयोजित होने वाली वनभूमि का एन०पी०भी० की राशि के भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।
3. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप वर्तमान मजदूरी दर पर वांछित राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
4. भारत सरकार द्वारा लगायी जानेवाली अन्य मानक शर्तों एवं समय-समय पर निर्गत निदेशों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के लिए बाध्यकारी होगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

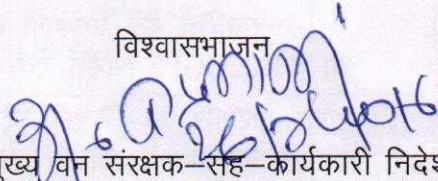
विषयगत परियोजना में समेकित कुल 19.85 हे० वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव को भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में Website पर अपलोड कर दिया गया है। पोर्टल पर ऑनलाईन किये जाने के पश्चात् Time line की छायाप्रति संलग्न है।

इस पत्र के साथ प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ अत्र-सह-संलग्न करते हुए अनुरोध है कि प्रस्तावित 19.85 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव को भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, राँची से स्टेज-I प्राप्ति हेतु अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

प्रस्ताव की तीन-तीन प्रतियों के साथ।

विश्वासभाजन


प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

TORI SHIVPUR RAIL PROJECT 19.85 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 19.85 ha. Forest land.

Date :- 26.07.2016

Place :- Ranchi

Signature

(ARUN KUMAR PRABHAKAR)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief conservator of Forests

-cum-Executive Director

Waste Land Development Board

Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)